

# नगर निगम, बीकानेर

(राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा के अन्तर्गत)

## अनापत्ति प्रमाण पत्र

आवेदन नं.: LSG/BIKANER/FIRENOC/2022-23/14741  
जारी दिनांक: 14-FEB-2023

### प्रेषित-

आवेदक का नाम श्री/श्रीमती: SOPHIA SENIOR SECONDARY SCHOOL BIKANER  
आवेदक का पता: SAGAR ROAD, BIKANER - 334001

विषय:- अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने वाले

आपके भवन SOPHIA SENIOR SECONDARY SCHOOL, NO, SAGAR ROAD, SAGAR ROAD, BIKANER, BIKANER, RAJASTHAN का निरीक्षण किया गया निरीक्षण के दौरान अग्नि सुरक्षा उपकरण सही पाए गए अतः उपरोक्त सुरक्षा व्यवस्था के अनुसार निम्न शर्तों पर पांचदं करते हुए यह स्थाई (Permanent) अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जाता है।

### शर्तें:-

1. अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने कि तिथि से एक वर्ष कि अवधि हेतु ही मान्य होगा। एक वर्ष बाद अनापत्ति प्रमाण पत्र का नवीनीकरण किया जाना आवश्यक होगा, अव्यथा अनापत्ति स्वतः निरस्त मानी जायेगी।
2. भवन के सभी इंटरियोर और एक्सिट द्वारा अवश्यक होने वाले अग्निशमन विभाग द्वारा प्रशिक्षण दिलाना आवश्यक होगा।
3. अग्निशमन उपकरण समयावधि में रीफिल कराना होगा।
4. निरीक्षण के दौरान आवश्यक दिशा निर्देशों का पालन करना आवश्यक होगा।
5. यदि राज्य सरकार या निगम द्वारा भविष्य में कोई नियम/उपनियम जारी किया जाता है तो प्रबंधक को मान्य होगा।
6. भवन का मुख्य अग्निशमन अधिकारी द्वारा कभी भी निरीक्षण किया जा सकेगा व फायर सिस्टम कार्यरत नहीं पाए जाने कि इस्थिति में यह अग्निशंखा पत्र निरस्त माना जाएगा।
7. पावी के टैक हर समय भरे रखने होंगे व पम्प व पूरा फायर सिस्टम 24 घण्टे कार्यशील इस्थिति में रखने को बाध्य होंगे।
8. फायर सिस्टम को चलाने हेतु 24 घण्टे फायर प्रशिक्षित कर्मचारी रखने होंगे तथा ए एम सी करवाची जाकर सिस्टम को रख रखाय व संचालन करना अविवार्य होगा।
9. फायर बाह्य आदानी दो जा राके इसके लिए पर्याप्त खुला राजा अवधें रहित रखना होगा।
10. भवन के अंदर किसी भी प्रकार का विस्फोटक पदार्थ व अति जलनशील पदार्थ नहीं रखा जाये।
11. रोप लेडर व दो रस्सा भवन के सभी दावर में दावर कि उंचाई जितना हर समय भवन में रखना होगा।
12. यह अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र अग्नि सुरक्षा की दृष्टि से ही मान्य होगा।
13. भूमि व भवन संबंधित किसी भी प्रकार के विवाद हेतु यह पत्र बतौर साक्ष्य मान्य नहीं होगा एवं दृष्ट बाबत आवेदक स्वयं उत्तरदाती होगा।
14. यह अनापत्ति प्रमाण पत्र रूफटॉप रेस्टोरेंट के लिए मान्य नहीं है। जिस भाग के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जा रहा है वहां पर रूफटॉप रेस्टोरेंट का संचालन पूर्णतया प्रतिबंधित रहेगा।

अग्निशमन अधिकारी  
नगूर निगम, बीकानेर

Signature valid

Digital signed by Suman Sharma  
Designation: DC|EO, Commissioner  
Date: 2023.02.14 11:27:11 IST  
Reason: Approved



PRINCIPAL  
Sophia Sr. Secondary School  
BIKANER-334001 ✓